संख्या : /XVII-2/2017-01(10क0)/2016

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज/महिला कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

**विषयः-मानसिक रूप से विक्षिप्त संवासिनियों की समुचित देखरेख/उपचार की व्यवस्था हेतु कम पड़ रही धनराशि की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3046/स0क0/लेखा-बजट/पुर्न0-प्रस्ताव/2017-18 दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/महिलाओं हेतु आवासीय गृहों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हेतु ₹ 21.30 (रूपये **इक्कीस लाख तीस हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(I)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य /लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित

संख्या : /XVII-2/2017-01(स०क०)/2016

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज/महिला कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

**विषयः-मानसिक रूप से विक्षिप्त संवासिनियों की समुचित देखरेख/उपचार की व्यवस्था हेतु कम पड़ रही धनराशि की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3046/स0क0/लेखा-बजट/पुर्न0-प्रस्ताव/2017-18 दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/महिलाओं हेतु आवासीय गृहों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हेतु **₹ 21.30 (रूपये इक्कीस लाख तीस हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित

किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के संलग्न विवरण में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235–02–107–07 की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8. उक्त धनराशि वित्त विभाग के आ0शा0संख्या–1342/XXVII(1)/17 दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में पुनर्विनियोग अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या– R1712150134 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के द्वारा किया गया है तथा धनराशि का आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या S1712150251 दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के द्वारा जारी किया जा रहा है।

9. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध शासनादेश संख्या–638/XVII–2/2017–01(म0क0)/2016 दिनांक 10 अगस्त, 2017 के अनुसार यथावत लागू रहेंगी।

**संलग्नकः–यथोक्त।**

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

**पृष्ठांकन संख्या : 916 /XVII–2/2017–01(म0क0)/2016 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 बेरी)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

~~Secretary, Social Welfare (S045)~~

पत्र संख्या - 9/16 /XVII-2/17-01(M.K.)2016

अलोटमेंट आई डी - S1712150251

दान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक - 26 Dec 2017

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण

107 - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

07 - मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/ महिलाओं हेतु आवासीय गृहों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

00 - -

Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज | 2000000 | 2130000 | 4130000 |
| | **2000000** | **2130000** | **4130000** |

**Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2130000**

# उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2016-2017)
## बी .एस. - 09

अनुदान संख्या - 015
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - ,

अलोटमेंट आईडी - R1712150134
दिनांक - 15-Dec-2017

(In Rupees)

| क्रम संख्या | बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1) | | मानक मदवार वास्तविक व्यय (2) | वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3) | अवशेष तत्काल समायोजित धनराशी (4) | लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5) | | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6) | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>02 समाज कल्याण<br>103 महिला कल्याण<br>14 मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु व<br>00 मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं हेतु<br>(Voted) | | | | | 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण<br>02 समाज कल्याण<br>107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता<br>07 मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/ म<br>00 -<br>(Voted) | | | | |
| 1 | 04 - यात्रा व्यय | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज सह | 2130000 | 4130000 | 0 | |
| 2 | 05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 50000 | 0 | 0 | 50000 | योग | 2130000 | | 0 | |
| 3 | 07 - मानदेय | 250000 | 0 | 0 | 250000 | | | | 0 | |
| 4 | 08 - कार्यालय व्यय | 50000 | 0 | 0 | 50000 | | | | 0 | |
| 5 | 09 - विद्युत देय | 50000 | 0 | 0 | 50000 | | | | 0 | |
| 6 | 10 - जलकर / जल प्रभार | 30000 | 0 | 0 | 30000 | | | | 0 | |
| 7 | 11 - लेखन सामग्री और फार्मों क | 50000 | 0 | 0 | 50000 | | | | 0 | |
| 8 | 12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपक | 100000 | 0 | 0 | 100000 | | | | 0 | |
| 9 | 13 - टेलीफोन पर व्यय | 30000 | 0 | 0 | 30000 | | | | 0 | |
| 10 | 17 - किराया, उपशुल्क और कर- | 200000 | 0 | 0 | 200000 | | | | 0 | |
| 11 | 18 - प्रकाशन | 10000 | 0 | 0 | 10000 | | | | 0 | |
| 12 | 26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण | 200000 | 0 | 0 | 200000 | | | | 0 | |
| 13 | 27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 100000 | 0 | 0 | 100000 | | | | 0 | |
| 14 | 31 - सामग्री और सम्पूर्ति | 500000 | 0 | 0 | 500000 | | | | 0 | |
| 15 | 42 - अन्य व्यय | 300000 | 0 | 0 | 300000 | | | | 0 | |
| 16 | 45 - अवकाश यात्रा व्यय | 30000 | 0 | 0 | 30000 | | | | 0 | |
| 17 | 46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/सापटवे | 100000 | 0 | 0 | 100000 | | | | 0 | |
| 18 | 47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन | 50000 | 0 | 0 | 50000 | | | | 0 | |